निगरानी प्रकरण क्र. 3805 / पी.बी.आर / 16

प्रस्तुती दिनांक : 20.02.2019

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर

पुनर्स्थापन - 0284/2019/इंदौर/भू.रा.

मंजुबाई पिता बद्रीलाल हार्डिया व अन्य .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर व अन्य ... प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म.प्र. भू–राजस्व संहिता

प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि :–

1. यह कि, सदर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2019 को नोटिस एवं रेकार्ड हेतु नियत था।

2. यह कि, सदर प्रकरण प्रार्थी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। प्रकरण कलेक्टर महोदय के द्वारा स्वमेव प्रेरणा में लिया होकर आदेश पारित किया है , उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को ही है।

3. यह कि, अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके इसलिये प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है। उक्त त्रुटि सद्भावनापूर्वक होकर क्षमा किए जाने योग्य है।

अतः निवेदन है कि, आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः स्थापित किया जाकर गुणदोष पर निराकरण करने बाबद आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

इन्दौर,

दिनांक – 20.02.2019

प्रस्तुतकर्ता

प्रार्थीगण तर्फे अभिभाषक

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक रे.रु.नं. 284/19/इन्दौर/Rev.

मंजूबाई **विरुद्ध** श्यामलाल

तहसील .... जिला ....

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. .... जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. ....

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. .... तहसील का प्रकरण क्रमांक. ....

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला .... के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. .... के विरुद्ध श्री भरत मालवीय के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/. ....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	
21-2-19	आवेदक (अधिवक्ता) श्री भरत मालवीय उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण एल निग. 3805-PBR/16 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। इस प्रकरण मे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।	

[पीछे देखिये

अध्यक्ष